

कार्यालय

खण्ड विकास अधिकारी

सदर-बुलन्दशहर ।

पत्रांक 12

/ भूसा, साइलेज, संकेन्द्रित आहार / ई-टेण्डर / 2025-26 दिनांक 08 04-2026

ई-निविदा आमंत्रण

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, बुलन्दशहर के पत्रांक 12413 / भूसा-ई-टेण्डर 2025-26 दिनांक 13-02-2026 के परिपालन में विकास खण्ड बुलन्दशहर में स्थित समस्त अस्थायी गौशालाओं में संरक्षित गौवशों के भरण पोषण हेतु वर्ष पर्यन्त पशु आहार (भूसा/हरा चारा/दाना एवं साइलेज)/ आहार की आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं फाइनैन्शियल बिड <http://www.etendar.up.in> पर पंजीकृत टेकेदारों से ई-निविदा द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इसी क्रम में आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल मेरठ के पत्र संख्या 1832/गो-आश्रय स्थल/2025-26 दिनांक 02-02-2026 के द्वारा बिन्दु-2 से अवगत कराया गया है कि प्रत्येक गोवंश को निर्धारित रू0 50/- की सीमा के अन्तर्गत 03 किलोभूसा (रू0 7-8 प्रति कि0), 05 किलो हरा चारा (रू0 2.50-3.00 प्रति कि0लो0), 500 ग्राम पशु आहार (रू0 21-22 प्रति कि0) आहार में दिया जा सकता है अथवा हरे चारे की अनुपलब्धता होने पर 03 किलोसाइलेज (रू0 8.00 प्रति कि0लो0), 02 कि0लो0 भूसा (रू0 7-8 प्रति कि0लो0), 500 ग्राम पशु आ0 (रू0 21-22 प्रति कि0लो0) आहार के रूप में दिया जा सकता है। ई-निविदा दिनांक 02-05-2026 से दिनांक 11-05-2026 की पूर्वान्ह 11:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। ई-निविदा में अपलोड में किये गये दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 11-05-2026 को 12:00 अपरान्ह तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। दिनांक 11-05-2026 को अपराहन 13:30 बजे से अधोहस्ताक्षरी एवं गठित समिती तथा निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई-निविदा खोली जायेगी। अवकाश /आवश्यक शासकीय कार्य की स्थिति में यह निविदा अगले कार्य दिवसमें खोली जायेगी। सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।


क 0 स 0	कार्य का नाम	प्रति वर्ष अनुमानित आपूर्ति कुन्तल में	कय दर रूपये में प्रति कुन्तल	निविदा अनुमानित कुल मूल्य	ई0एम0डी0 राशि1 प्रतिशत (रूपये) में	निविदा फार्म की फीस (रू0) में	आपूर्ति करने की अवधि
1	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवशो हेतु भूसा आपूर्ति	7447 कुन्तल	800	16829000.00	168290.00	3000.00	31.03.2027 तक
2	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवशो हेतु हरा चारा आपूर्ति	11914 कुन्तल	300				
3	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवशो हेतु दाना आपूर्ति	2234 कुन्तल	2200				
4	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवशो हेतु साइलेज आपूर्ति	2978 कुन्तल	800				

निविदा की शर्तें

- 1-निविदा में दिये जाने वाले प्रपत्र
- 2-तकनीकी बिड के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र
- 3-न्यूनतम तीन वर्षों का किसी आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति करने का कार्यदेश अथवा कार्य के सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र
- 4-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित टर्न ऑवर प्रमाण पत्र।
- 5-जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन (केवल उत्तर प्रदेश का मान्य होगा) प्रमाण पत्र
- 6-10 रू0 के शपथ पत्र पर नोटरी द्वारा सत्यापित स्वयं घोषणा कि निविदाकर्ता किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
- 7-यह अनुबन्ध सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31-03-2027 तक मान्य होगा।
- 8-समस्त प्रपत्र/अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित स्कैन्ड प्रति ई-निविदा पोर्टल वेबसाईट पर अपलोड कराना आवश्यक होगा।
- 9-फाइनैन्शियल कैपेबिलिटी से सम्बन्धित अर्हताये हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष बिड खुलने की तिथि तक औसत वार्षिक वित्तीय टर्नऑवर, बिड की अनुमानित लागत का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए।


B. A. O.
3

- 10-ई0एम0डी0 कुल निविदा मूल्य का एक प्रतिशत बैंक एफ0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सदर-बुलन्दशहर के नाम बंधक होना अनिवार्य होगा।
- 11-सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व 07 दिवस के भीतर 3 प्रतिशत ई0पी0वी0जी0 बैंक एफ0डी0आर0 के रूपमें खण्ड विकास अधिकारी सदर-बुलन्दशहर के नाम बंधक रख वाया जाना अनिवार्य होगा।
- 12-बिल से नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।
- 13-एम0एस0एम0ई0 एवं स्टार्टअप के लिये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार टर्नओवर, कार्य अनुभव एवं ई0एम0डी0 से छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट केवल उत्तर प्रदेश में स्थित एम0एस0एम0ई0 एवं स्टार्टअप को ही अनुमान्य होगी।
- 14-निविदा को पूर्ण एवं आंशिक रूप से बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी सदर-बुलन्दशहर में निहित होगा।
- 15-कोई भी निविदादाता जो किसी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 16-सशर्त एवं अपूर्ण कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 17-गौवंशों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा खण्ड विकास अधिकारी सदर-बुलन्दशहर/सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा परिवर्तित की जा सकती है।
- 19-निविदादाता को अपने हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम मो0 नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 पत्राचार का पता साफ-साफ लिखना अनिवार्य होगा।
- 20-निविदा दाता किसी भी कार्य दिवस में भूसा आदि आपूर्ति हेतु स्थल का निरीक्षण सुनिश्चित कर लें।
- 21-वाद विवाद सम्बन्धी किसी भी मामले का निस्तारण खण्ड विकास अधिकारी सदर-बुलन्दशहर द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उच्च जिला स्तरीय अधिकारी/ मा0 जिला न्यायालय बुलन्दशहर का ही मान्य होगा।
- 22-एकल निविदा होने की स्थिति मे निविदा स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- 23-निविदा फार्म की फीस बैंक डी0डी0 अथवा खण्ड विकास अधिकारी सदर-बुलन्दशहर के **बैंक खाता संख्या-01402011000779** **IFS-CODE PUNB0014010 पंजाब नैशनल बैंक मोतीबाग-बुलन्दशहर** में जमा करनी होगी। जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी। साथ ही निविदादाता को कार्यालय ख0वि0अ0सदर-बुलन्दशहर में पंजीकरण भी कराना होगा।
- 24-आपूर्तिकर्ता को क्षेत्र पंचायत सदर-बुलन्दशहर के अन्तर्गत आपूर्ति ग्राम पंचायत में स्थित अस्थाई गौआश्रय स्थलोंमें आपूर्ति स्वयं के संसाधनों द्वारा समय-समय पर मॉग के अनुसार करनी होगी एवं बिल भुगतान हेतु प्राप्त धनराशि के अनुसार ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा समय-समय पर भुगतान किया जायेगा। साथ ही अनुबन्ध भी सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
- 25-भुगतान मासिक आधार वास्तविक आपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।


 (ज्ञानेन्द्र मिश्रा)
 खण्ड विकास अधिकारी
 सदर-बुलन्दशहर

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 3-जिला विकास अधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।
- 4-परियोजना निदेशक, महोदय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बुलन्दशहर।
- 5-जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर को निशुल्क प्रकाशनार्थ।
- 6-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 बुलन्दशहर।
- 7-टैण्डर समिति के सदस्यों स0वि0अ0 (पं0)/स0वि0अ0 (कषि) जे0ई0(आर0ई0डी0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9-कैशियर विकास खण्ड सदर-बुलन्दशहर को निविदा फॉर्म बिक्री की धनराशि नियमानुसार जमा करने हेतु।
- 10-कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 11-सम्पादक.....समाचार पत्र को शासकीय दरों पर प्रकाशित करने हेतु।


 खण्ड विकास अधिकारी
 सदर-बुलन्दशहर।